कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्रीअनिल संत,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0,लोहिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट इकाई, विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ।**

प्रा0प0सं0- **420/2009**

प्रार्थी की ओर से- **श्री रवीन्द्र सिंह,अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 10-12-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें बोल्डर पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

व्यापारी द्वारा अपने लिखित प्रार्थना पत्र में यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 में River sands and grit. पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता है तथा बोल्डर भी ग्रिट का बड़ा रुप है अतः इसे बड़ी ग्रिट भी कहा जा सकता है परन्तु बोल्डर किसी अनुसुची में वर्णित नहीं है अतः बोल्डर पर कर की दर जानने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2- व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, द्वितीय लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 246 दिनांक 12-01-09 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि बोल्डर किसी भी अनुसुची में वर्गीकृत नहीं है अतः इस पर 12.5 की दर से करदेयता होगी तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2-क भाग-क के क्रमांक 109 में केवल River sands and grit का उल्लेख है जिसके अन्तर्गत बोल्डर नहीं आता है तथा उक्त प्रविष्टि निम्नवत् है:-

109	River sands and grit.

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री रवीन्द्र सिंह,अधिवक्ता उपस्थित हुए ,उन्होनें उक्त प्रश्न को दोहराया तथा कर की जानकारी देने का अनुरोध किया ।

4- मेरे द्वारा पत्रावली,अभिलेखों,प्राप्त विभागीय आख्या का परिशीलन किया गया तथा पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2भाग-क के क्रमांक-109 पर अंकित प्रविष्टि में River sands and grit. का उल्लेख है। उक्त प्रविष्टि में विधायिका द्वारा स्पष्ट रुप से नदी की बालू एवं उसके साथ बहने वाले ग्रिट पर कर की दर 4 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। बोल्डर को तोड़ कर भिन्न-भिन्न आकारो की गिटटी उपयोगिता के अनुसार स्टोन क्शर द्वारा अथवा हाथ से तोड़ कर बनाई जाती है । पी0डब्लू0डी0 से प्राप्त सूचना के अनुसार इनका आकार सड़क के विभिन्न स्तर के निर्माण कार्य हेतु किया जाता है जैसे 63 से 40 एमएम बेस एवं 50 से 25 एमएम सड़क के ऊपरी लेयर में प्रयुक्त होता है । इस पत्थर को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2भाग-क के क्रमांक-109 के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता है क्योकि उपरोक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत केवल नदी से बह कर आने वाली बालू तथा गिटटी ही आती है तथा उपरोक्त के अन्तर्गत बोल्डर को तोड़ कर विभिन्न साइजो में बनाई गई ग्रिट को नहीं रखा जा सकता है । अतः छोटे-छोटे पीसो में तोड़ी गयी ग्रिट तथा सड़क निर्माण में प्रयुक्त रोड़ी गिट्टी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची-2भाग-क के क्रमांक-109 में नहीं आता है। अतः उपरोक्तानुसार चूंकि बोल्डर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की अनुसुची 1,2,3,4 के अन्तर्गत न आने के कारण तथा अवर्गीकृत होने के कारण बोल्डर पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

ह0/15-4-09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

दिनांक :: 15 अप्रैल,2009

वै0 स0 ग्रे0-I

प्रमाणि... ...पि

वाणि... ...लखनऊ